न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 206/2024(GCMS : 2024/298)

ईक्विटास स्मॉल फाईनन्स बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769 माउण्ट रोड़ अन्ना सलाई, चोन्नई–60002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–302019 राजस्थान

बनाम

1. **लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री काला सिंह** उम्र 27 जाति मजहबी, पता वार्ड संख्या 01, 15 एसडीएस, दुदाखीचड़, जिला श्रीगंगानगर–335062
2. **सुखप्रीत कौर पत्नी लखविन्द्र सिंह** उम्र 28 जाति मजहबी, पता वार्ड संख्या 01, 15 एसडीएस, दुदाखीचड़, जिला श्रीगंगानगर–335062
3. **काला सिंह पुत्र अनोखा सिंह** उम्र 64 जाति मजहबी, पता वार्ड संख्या 01, 15 एसडीएस, दुदाखीचड़, जिला श्रीगंगानगर–335062
4. **छिन्द्र कौर** उम्र 64 जाति मजहबी, पता वार्ड संख्या 01, 15 एसडीएस, दुदाखीचड़, जिला श्रीगंगानगर–335062

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.01.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण लखविन्द्र सिंह, सुखप्रीत कौर, काला सिंह एवं छिन्द्र कौर को ऋण सुविधा के रूप में 3.17/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 26.09.2019 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 10.01.2024 को 1,33,803/– रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी काला सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 09, ग्राम दुदाखीचड़ तहसील सादुलशहर ग्राम पंचायत चक केरा, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 17[illegible] वर्गफीट), जिसके पूर्व में खाली है, पश्चिम में गुरसेवक सिंह, उत्तर में [illegible]ली व दक्षिण में गली है, का भौतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण लखविन्द्र सिंह, सुखप्रीत कौर, काला सिंह एवं छिन्द्र कौर** को ऋण सुविधा के रूप में 3.17/— लाख रूपये **(अखरे रूपये तीन लाख सत्रह हजार मात्र) की स्वीकृति दिनांक 26.09.2019 को प्रदान की थी और** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी काला सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 09, ग्राम दुदाखीचड़, तहसील सादुलशहर ग्राम पंचायत चक केरा, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट), जिसके पूर्व में खाली है, पश्चिम में गुरसेवक सिंह, उत्तर में खाली व दक्षिण में गली है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 09.12.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार समस्त अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो गई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त [illegible] जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी काला सिंह की सम्पत्ति पट्टा संख्या 09, ग्राम दुदाखीचड़, तहसील सादुलशहर ग्राम पंचायत चक केरा, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट), जिसके पूर्व में खाली है, पश्चिम में गुरसेवक सिंह, उत्तर में खाली व दक्षिण में गली है, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 10.01.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 10.01.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण **को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12.01.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है, जिसके अनुसार** अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही [illegible] के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन** प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी काला सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी काला सिंह **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति** पट्टा संख्या 09, ग्राम दुदाखीचड़, तहसील सादुलशहर ग्राम पंचायत चक केरा, जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1740 वर्गफीट), जिसके पूर्व में खाली है, पश्चिम में गुरसेवक सिंह, उत्तर में खाली व दक्षिण में गली है, **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:42:04 IST
Reason: SelfAttested

Manju
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर